

**छात्रवृत्ति पात्रता के नियम
अनुसूचित जाति (SC Students)**

सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन हेतु

आधार कार्ड:- आधार कार्ड की जानकारी जिसमें नाम, पता एवं जन्म दिनांक वर्तमान मोबाईल नम्बर पूर्णतया सही हो। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है आधार से लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाते का आधार Authentication होना अनिवार्य है।

जाति प्रमाण पत्र:- जाति प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

समग्र परिवार आई. डी.:- प्रोफाईल पंजिकरण के समय समग्र परिवार आई. डी. एवं समग्र सदस्य आई. डी. की प्रविष्टि की जाना है। जिसमें सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक, जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक जानकारी दर्ज हो। सबसे महत्वपूर्ण समग्र डाटाबेस में "आधार नम्बर" की प्रविष्टि होना अनिवार्य है।

आय सीमा :-

क्र	श्रेणी वर्ग	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति	रु. 2.50 लाख वार्षिक तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क
		रु. 2.50 लाख से अधिक परन्तु	केवल शिक्षण शुल्क (
		रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं	छात्रवृत्ति नहीं)

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापित(Attested) करवाकर संलग्न करें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जावेगा :-

- 1 वर्तमान सत्र में आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साईट पर अपलोड करें। यदि पिता शासकिय नौकरी (Govt. Service) में है तो नियोक्ता का आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और यदि पिता प्राइवेट नौकरी (Private Service) में है तो नियोक्ता का आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- 2 जाति का अनुविभागीय अधिकारी(एस.डी.एम.) वाला ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साईट पर अपलोड करें।
- 3 म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ।
- 4 दसवी एवं बारहवी उत्तीर्ण अंकसूची की फोटोकॉपी ।
- 5 एडमिशन स्लिप की फोटोकॉपी ।

अनुमानित छात्रवृत्ति राशि :- रु. 30000/- मात्र

नोट :- आदिम जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में 75% से अधिक होना अनिवार्य है. यदि 75% से कम छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- 6 यदि ग्रेड हो तो ग्रेड प्रमाण पत्र।
- 7 राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते की फोटोकॉपी (जिसमें बैंक शाखा का नाम, बैंक का आय.एफ.एस.डी कोड एवं छात्र का बैंक खाता नंबर) होना जरूरी है। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है आधार से लिंक होना अनिवार्य है। कियोस्क बैंक खाता अस्वीकार्य है।
- 8 छात्र-छात्रा द्वारा किसी भी एक ही छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन भरा जा सकता है।
- 9 प्रोफाइल पंजीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार के परामर्श हेतु श्री विनोद रघुवंशी वरिष्ठ सलाहकार आई. टी. से मा. नं. 9329041624 पर संपर्क करें।

**छात्रवृत्ति पात्रता के नियम
अनुसूचित जनजाति (ST Students)**

सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन हेतु

आधार कार्ड की जानकारी जिसमें नाम, पता एवं जन्म दिनांक वर्तमान मोबाइल नम्बर पूर्णतया सही हो। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है आधार से लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाते का आधार Authentication होना अनिवार्य है।

जाति प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

प्रोफाइल पंजिकरण के समय समग्र परिवार आई. डी. एवं समग्र सदस्य आई. डी. की प्रविष्टि की जाना है। जिसमें सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक, जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक जानकारी दर्ज हो। सबसे महत्वपूर्ण समग्र डाटाबेस में "आधार नम्बर" की प्रविष्टि होना अनिवार्य है।

आय सीमा :-

क्र	श्रेणी वर्ग	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर
1	2	3	4
1	अनुसूचित जनजाति	रु. 2.50 लाख वार्षिक तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क
		रु. 2.50 लाख से अधिक परन्तु	केवल शिक्षण शुल्क (
		रु. 6.00 लाख से अधिक नहीं	छात्रवृत्ति नहीं)

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापित(Attested) करवाकर संलग्न करें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जावेगा :-

- वर्तमान सत्र में आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साइट पर अपलोड करें। यदि पिता शासकिय नौकरी (Govt. Service) में है तो नियोक्ता का आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और यदि पिता प्राइवेट नौकरी (Private Service) में है तो नियोक्ता का आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- जाति का अनुविभागीय अधिकारी(एस.डी.एम.) वाला ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साइट पर अपलोड करें।
- म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ।
- दसवी एवं बारहवी उत्तीर्ण अंकसूची की फोटोकॉपी ।

अनुमानित छात्रवृत्ति राशि :- रु. 30000/- मात्र

होगी।

नोट :- आदिम जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में 75% से अधिक होना अनिवार्य है। यदि 75% से कम होगी तो छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। मंत्रालय कोट (IPS Quota) से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

सलाहकार आई. टी. से. सी. नं. 9329041624 पर सिधे संपर्क करें।

9 प्रोफाईल परीक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार के परामर्श हेतु श्री विनोद रघुवंशी वरिष्ठ

8 छात्र-छात्रा द्वारा किसी भी एक ही छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन भरा जा सकता।

छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है आधार से लिंक होना अनिवार्य है। कियोस्क बैंक खाता अस्वीकार्य है।

आय.एफ.ए.सी कोड एवं छात्र का बैंक खाता नंबर) होना जरूरी है। बैंक खाता जिसमें

7 राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते की फोटोकॉपी (जिसमें बैंक शाखा का नाम, बैंक का

6 यदि गैप हो तो गैप प्रमाण पत्र।

5 एडमिशन रिलीफ की फोटोकॉपी।

**छात्रवृत्ति पात्रता के नियम
पिछड़ा वर्ग (OBC Students)**

सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन हेतु

आधार कार्ड की जानकारी जिसमें नाम, पता एवं जन्म दिनांक वर्तमान मोबाईल नम्बर पूर्णतया सही हो। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है आधार से लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाते का आधार Authentication होना अनिवार्य है।

जाति प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

प्रोफाईल पंजिकरण के समय समग्र परिवार आई. डी. एवं समग्र सदस्य आई. डी. की प्रविष्टि की जाना है। जिसमें सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक, जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक जानकारी दर्ज हो। सबसे महत्वपूर्ण समग्र डाटाबेस में "आधार नम्बर" की प्रविष्टि होना अनिवार्य है।

आय सीमा :-

क्र	श्रेणी वर्ग	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर
1	2	3	4
	पिछड़ा वर्ग	आय सीमा रु.75000 / - तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापित(Attested) करवाकर संलग्न करें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जावेगा :-

- 1 वर्तमान सत्र में आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साईट पर अपलोड करें।
- 2 जाति का अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम.) वाला ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साईट पर अपलोड करें।
- 3 म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ।
- 4 दसवी एवं बारहवी उत्तीर्ण अंकसूची की फोटोकॉपी ।
- 5 एडमिशन स्लिप की फोटोकॉपी ।
- 6 यदि गेप हो तो गेप प्रमाण पत्र।
- 7 राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते की फोटोकॉपी (जिसमें बैंक शाखा का नाम, बैंक का आय.एफ.एस.सी कोड एवं छात्र का बैंक खाता नंबर) होना जरूरी है। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है आधार से लिंक होना अनिवार्य है। कियोस्क बैंक खाता अस्विकार्य है।

8 छात्र-छात्रा द्वारा किसी भी एक ही छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन भरा जा सकेगा।
9 प्रोफाईल पंजीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार के परामर्श हेतु श्री विनोद रघुवंशी वरिष्ठ सलाहकार आई. टी. से मो. नं. 9329041624 पर (सिधे) संपर्क करें।

नोट :- आदिम जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में 75% से अधिक होना अनिवार्य है. यदि 75% से कम होगी तो छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी. जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैनेजमेंट कोटे (IPS Quota) से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

अनुमानित छात्रवृत्ति राशि :- रु. 28000 /- मात्र

छात्रवृत्ति पात्रता के नियम
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना (MMVY Students)

1. इंजिनियरिंग हेतु जेईई मेंस परीक्षा में रैंक 50000 के अन्तर्गत होने की स्थिति में 1,50,000 लाख अथवा वार्षिक शिक्षण खर्चक जो भी कम हो।

2. विद्यार्थी म.प्र. के मूल निवासी होना आवश्यक है।

3. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय रु. 6 लाख से कम हो।

4. माध्यमिक शिक्षा मंजूर द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.बी.ए.ए.सी.ई./आई.सी.ए.सी.ई. द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।

5. छात्र-छात्रा द्वारा किसी भी एक ही छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन भरा जा सकता।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें 0755 : 2660063

**SCHEME OF 'MERIT CUM MEANS BASED SCHOLARSHIP' FOR
STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES**

1. OBJECT

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses.

2. SCOPE

These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through State Government/UT Administration or an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.

3. NUMBER OF SCHOLARSHIP

During 12th Five Year Plan, 60000 fresh Scholarships will be awarded each financial year, besides renewals among the students of minority communities in States/UTs throughout the country based on the State/UT-wise population of these communities. The distribution of fresh scholarships based on 2001 census is as under:

State-wise distribution of scholarship among the students belonging to minority communities.

State/UT- wise & Community- wise distribution of Merit-cum-means based Scholarships for students belonging to the minority communities								
S. No.	States/UTs	Muslim	Christian	Sikh	Buddhist	Jain	Parsi	Total
1	Andhra Pradesh	2165	366	10	10	13	0	2564
2	Arunachal Pradesh	6	64	1	44	0	0	115
3	Assam	2553	306	7	16	7	0	2889
4	Bihar	4251	16	6	6	5	0	4284
5	Chhattisgarh	127	124	22	20	17	0	310
6	Goa	29	111	2	0	0	3	145
7	Gujarat	1423	88	14	6	163	3	1697
8	Haryana	379	8	363	2	18	0	770
9	Himachal Pradesh	37	2	22	24	0	0	85
10	Jammu & Kashmir	2105	6	64	35	1	0	2211
11	Jharkhand	1156	339	26	2	5	0	1528
12	Karnataka	2002	313	5	122	128	0	2570
13	Kerala	2436	1877	1	1	1	0	4316
14	Madhya Pradesh	1190	53	47	65	169	0	1524
15	Maharashtra	3180	328	67	1809	403	10	5797
16	Manipur	59	229	1	1	0	0	290
17	Meghalaya	31	505	1	1	0	0	538
18	Mizoram	3	239	0	22	0	0	264
19	Nagaland	11	555	0	0	1	0	567
20	Odisha	236	278	5	3	3	0	525
21	Punjab	118	91	4518	13	12	0	4752

22	Rajasthan	1483	23	254	3	202	0	1965
23	Sikkim	2	11	0	47	0	0	60
24	Tamil Nadu	1075	1173	3	2	26	0	2279
25	Tripura	79	32	0	31	0	0	142
26	Uttar Pradesh	9514	66	210	94	64	0	9948
27	Uttarakhand	314	8	66	4	3	0	395
28	West Bengal	6266	160	23	75	17	0	6541
29	Andaman & Nicobar	9	24	0	0	0	0	33
30	Chandigarh	11	2	45	0	2	0	60
31	Dadra & Nagar Haveli	2	2	0	0	0	0	4
32	Daman & Diu	4	1	0	0	0	1	6
33	Delhi	503	40	172	7	48	0	770
34	Lakshadweep	17	0	0	0	0	0	17
35	Puducherry	18	21	0	0	0	0	39
Total:		42794	7461	5955	2465	1308	17	60000

4. CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP

- i) Financial assistance will be given to pursue graduate level or post graduate level technical and professional courses from a recognized institution. Course fee and Maintenance allowance will be credited/transferred directly into the bank account of selected students.
- ii) Students who get admission to a college to pursue technical/professional courses, on the basis of a competitive examination will be eligible for the scholarship.
- iii) Students who get admission in technical/professional courses without taking any competitive examination will also be eligible for scholarship. However, such students should have not less than 50% marks at higher secondary/graduation level. Selection of these students will be done strictly on merit basis.
- iv) Continuation of the scholarship in subsequent years will depend on successful completion of the course during the preceding year.
- v) A scholarship holder under this scheme will not avail any other scholarship/stipend for pursuing the course.
- vi) The annual income of the beneficiary/parent or guardian of beneficiary should not exceed Rs.2.50 lakh from all sources.
- vii) The Income Certificate would remain valid for One Year.
- viii) The State Department will advertise the Scheme every year and receive the applications online through the concerned institutions as per the timeline.

- ix) Aadhaar Number is also required for payment of scholarship.
- x) The concerned State Government/Union Territory Administration will be responsible for processing and scrutinizing the applications submitted by the students (as per the work flow opted) and send the proposal of eligible students online to this Ministry for sanction of the scholarships as per timelines.
- xi) The online proposal for release of fund from the State Department must be forwarded to and received in the Ministry as per the timeline fixed by this Ministry every year.
- xii) Fund for Administrative Expenses in subsequent year will be released after receipt of the Utilization Certificate for the fund released in the previous year.

5. EARMARKING

- i) 30% scholarship is earmarked for girls students of each minority community in a State/UT which is transferable to male students of that community in case of non-availability of female students in that community in the concerned State/UT. 30% is the floor and not the ceiling for eligible girl students.
- ii) If the physical target of scholarship for a particular minority community in a state/UT is not utilized, it will be distributed among the same minority community in other States/UTs strictly in accordance with merit and without disturbing the national ratio.
- iii) A student residing in a particular State/UT will be entitled for scholarship under the quota of that State/UT only irrespective of his/her place of study.
- iv) The number of scholarship has been fixed State/UT-wise on the basis of minority population of the States/UTs. Within the State-wise allocations, the applications from Listed Institutions will be exhausted first. The list of such Institutions is available on the website of this Ministry i.e. www.minorityaffairs.gov.in

6. EVALUATION

- i) The Scheme will be evaluated at regular intervals and the cost of the evaluation will be borne by the Ministry of Minority Affairs under the provision of the Scheme. A provision of 2% of the total budget will be made to meet the Administrative and Allied costs viz. expenditure on monitoring of the Scheme, impact study, evaluation study, purchase of office equipments, engaging of contract employees, if necessary and other expenditure to run the Cell etc. This will be shared between the Ministry of Minority Affairs, Government of India and the State Governments/UT Administration.

7. MODIFICATION

- i) Minor modification in the Scheme with no financial implication may be made by the Competent Authority in the Ministry without seeking recourse to SFC/EFC/Cabinet. However, Ministry of Finance, Department of Expenditure would be consulted.

8. RATE OF SCHOLARSHIP

The rate of scholarship will be as under :

Sl.No.	Type of Financial Assistance	Rate for hostler	Rate for Day Scholar
1.	Maintenance Allowance (For 10 months only)	Rs.10,000/-per annum (Rs.1000 p.m.)	Rs.5,000/- per annum. (Rs.500 p.m.)
2.	Course Fee*	Rs.20,000/- per annum or Actual whichever is less	Rs.20,000/- per annum or Actual whichever is less
Total		Rs.30,000/-	Rs.25,000/-

* Full Course Fee will be reimbursed for the listed institutions.

9. PAYMENT

- i) The scholarship amount i.e. Course fee and Maintenance allowance would be credited/transferred directly into the bank account of selected students.
- ii) Scholarship will not be paid for the period of internship/housemanship in the M.B.B.S. course or for a practical training in other course if the student is in receipt of some remuneration during the internship period or some allowance/stipend during the practical training in other course.

10. OTHER CONDITIONS FOR THE AWARD

- i) The scholarship is dependent on the satisfactory progress and conduct of the scholar. If it is reported by the Head of the Institution at any time that a scholar has by reasons of his/her own act of default failed to make satisfactory progress or has been guilty of misconduct such as resorting to or participating in strikes, irregularity in attendance without the permission of the authorities concerned etc., the authority sanctioning the scholarship may either cancel the scholarship or stop or withhold further payment for such period as it may think fit.
- ii) If a student is found to have obtained a scholarship by false statement, his/her scholarship will be cancelled forthwith and the amount of the scholarship paid will be recovered, at the discretion of the concerned State Government. The student concerned will be blacklisted and debarred for scholarship in any scheme forever.

- iii) A scholarship awarded may be cancelled if the scholar changes the subject of the course of study or changes the Institution of study, without prior approval of the State Government/UT Administration. The Head of the Institution shall report such cases to this Ministry.
- iv) A scholar is liable to refund the scholarship amount, if during the course of the year, the studies for which the scholarship has been awarded, is discontinued or change in the subject of study.
- v) The regulations under the scheme can be changed at anytime at the discretion of the Government of India.
- vi) The list of Graduate Degree level and Post Graduate level technical and professional courses under Merit cum Means based Scholarship scheme is available on the website of this Ministry i.e. www.minorityaffairs.gov.in

11. PROCEDURE FOR APPLYING

- (i) The scheme is implemented through National Scholarship Portal (NSP). It is mandatory for all students to apply online on the website of this Ministry i.e. www.scholarships.gov.in.
- (ii) The list of documents to be scanned & uploaded for both Fresh and Renewal Scholarships as under:
 - a) Student Photo. (Mandatory)
 - b) Institution Verification Form. (Mandatory)
 - c) Self declaration of Income Certificate by the student. (Mandatory)
 - d) Self declaration of community by the student. (Mandatory)
 - e) In case of Fresh: Self Attested Certificate of 'Previous Academic Mark sheet' as filled in Form. (Mandatory)
 - f) In case of Renewal: Self-Attested Certificate of Previous Year Marksheet as filled in the Form. (Mandatory)
 - g) Fee Receipt of current course year. (Mandatory)
 - h) Proof of Bank Account in the name of student. (Mandatory)
 - i) Aadhaar Card (optional)
 - j) Residential Certificate. (Mandatory)

12. FUNDING PATTERN OF THE SCHEME

100% Central Assistance will be given.
